

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

09 $\frac{5}{22}$

आज यह प्रार्थना पत्र बेश हुका। मूल वाद
अदम हाजरी अदम चैरकी में खारिज दिया
जा चुका है। अतः अब प्रार्थना पत्र 212
RTA ACT को आगे चलाने का कोई औचित्य
बची है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA ACT
इली खतर पर खारिज दिया जाता है। प्रार्थना
पत्र नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ
संलग्न रहे।

सहायक कलेक्टर
मुंबई (अलवर) रा.प.